दिनांक 29.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 30/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा महिलाओं/बालिकाओं (POCSO) से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना के विधिक निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को महिलाओं/बालिकाओं (POCSO) से सम्बन्धित अभियोगों की गुणवत्तापरक विवेचना, वैज्ञानिक विधियों का समावेश एवं मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के सम्बन्ध में परिपत्र के माध्यम से समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुए उक्त के क्रम में पुनः निम्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गयेः–

- अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित कराते हुए अधिकाधिक वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित कराया जाय।
- पंजीकृत अभियोगों की विवेचना को समयबद्ध पूर्ण कराकर आरोप पत्र मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाय।
- अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र तथा उस पर सुनवाई की तिथि की सूचना पीड़िता अथवा परिवादी को उपलब्ध कराया जाय।
- प्रदर्शों को परिक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला समय से प्राप्त कराया जाय तथा 15 दिवस के भीतर आख्या प्राप्त कर विवेचना का विधिक निस्तारण कराया जाय।
- मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुए विचारण के दौरान प्रत्येक नियत तिथि पर साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।
- मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत प्रासेस का तामीला प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

- जनपद में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों, जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन, थाना प्रभारियों तथा विवेचकों की जनपदीय कार्यशाला का आयोजन किया जाय, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं उक्त के क्रम में मुख्यालय स्तर से दिये गये निर्देशों के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया जाय।

जनपद मथुरा/थाना फरह

- **09 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटा गया ट्रक**
- **लगभग 40 लाख रूपये कीमत की लूटा गया 32 टन सरिया**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियों, 01 बोलेनो वाहन बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना फरह व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 09 शातिर अभियुक्तों 1–जितेन्द्र उर्फ जीतू 2–रंजीत 3–रोहित 4–नीरज 5–बन्टू 6–अनिल 7–कुशलपाल 8–अभिषेक 9–सुनील को गिरफ्तार कर घटना का 24 घण्टे में अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटा गया ट्रक, लगभग 40 लाख रूपये कीमत की लूटा गया 32 टन सरिया, घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियों, 01 बोलेनो वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 28.09.2021 को अज्ञात बदमाशों द्वारा सरिया से भरे ट्रक के लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फरह पर मु0अ0सं0 450/2021 धारा 395 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से बरामद ट्रक व सरिया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फरह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र उर्फ जीतू निवासी फतिहा थाना फरह जनपद मथुरा।

2–रंजीत निवासी बबरौदा थाना अछनेरा जनपद आगरा।

3–रोहित निवासी मोहल्ला चौक जैत थाना वृन्दावन जनपद मथुरा।

4–नीरज निवासी कुणवारा थाना मांट जनपद मथुरा।

5–बन्टू निवासी मोहल्ला चौक जैत थाना वृन्दावन जनपद मथुरा।

6–अनिल निवासी महाविद्या कालोनी थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

7–कुशलपाल निवासी आझई थाना वृन्दावन जनपद मथुरा।

8–अभिषेक निवासी महाविद्या कालोनी थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

9–सुनील निवासी महाविद्या कालोनी थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–लूटा गया 01 ट्रक।

2– लगभग 40 लाख रूपये कीमत की लूटा गया 32 टन सरिया।

3–घटना में प्रयुक्त 01 स्कार्पियों, 01 बोलेनो वाहन।

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फर्रूखाबाद

- **01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी 07 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **01 किलो 800 ग्राम सोना**
- **01 किलो 900 ग्राम चॉदी बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना कोतवाली फर्रूखाबाद व थाना एनआरआई, बेलापुर नबी मुम्बई की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पांचाल घाट चौराहा कोतवाली फर्रूखाबाद से शातिर अभियुक्त रमेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 07 लाख 50 हजार रूपये नगद, 01 किलो 800 ग्राम सोना, 01 किलो 900 ग्राम चॉदी बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध थाना एनआरआई बेलापुर नबी मुम्बई महाराष्ट पर मु0अ0सं0–221/2021 धारा 454/457/380 भादवि पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद रूपये व सोना/चॉदी उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली फर्रूखाबाद द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रमेश निवासी लमकी थाना लमकी जनपद कैलानी , नेपाल।

बरामदगी

1—चोरी के 07 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2— 01 किलो 800 ग्राम सोना।

3— 01 किलो 900 ग्राम चॉदी।

जनपद महराजगंज/थाना फरेन्दा

- **पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.09.2021 को थाना फरेन्दा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनकटी वन चौकी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—हैदरअली 2—फिरोज घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त फिरोज के विरूद्ध जनपद महराजगंज, कुशीनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फरेन्दा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2021 धारा 3/5क/8

गोवध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फरेन्दा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फिरोज निवासी डोमनपट्टी थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

2–हैदरअली निवासी भुजौली बुजुर्ग दरोगा सिंह टोला थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–58

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 04 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना सेक्टर–58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेडिसन होटल सर्विस रोड के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रोहित घायल हो गया, जिसे अभियुक्त सिद्धार्थ सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 04 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रोहित के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त सिद्धार्थ के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास आदि के 04 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—58 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रोहित निवासी मोरना पुलिस स्टेशन सेक्टर—24

2—सिद्धार्थ निवासी मोरना थाना सेक्टर—24

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 04 मोबाइल फोन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल बिना नम्बर।

<u>जनपद जौनपुर/थाना लाइन बाजार</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की सोने की चैन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.09.2021 को थाना लाइन बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चकमहान गांव के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें 01 आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आदर्श घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट की सोने की चैन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर व मध्यप्रदेश के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना लाइन बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आदर्श निवासी बाकी थाना सिकरारा जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—लूट की सोने की चैन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 02 खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद आगरा/थाना एत्माद्दौला

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना एत्माद्दौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे पुल के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राजेश घायल हो गया, जिसे अन्य

अभियुक्त 2—आकाश 3—सनी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजेश के विरूद्ध जनपद आगरा के थाना एत्माद्दौला पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग, अभियुक्त आकाश के विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास,चोरी, आर्म्स एक्ट, आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त सनी के विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना एत्माद्दौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश निवासी ग्राम ककरेटा थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
2—आकाश निवासी ग्राम ककरेटा थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।
3—सनी निवासी ग्राम ककरेटा थाना सिकन्दरा जनपद आगरा।

बरामदगी

1—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस।
2— 01 मोटर साइकिल।
3— 03 मोबाइल फोन।

जनपद गोण्डा/थाना कटरा बाजार

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 43 हजार 800 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना कटरा बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चरेरा जगतापुर मोड़ के पास से अभियुक्त रघुनन्दन को

गिरफ्तार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 43 हजार 800 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोण्डा, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है। दिनॉकः 27.09.2021 को थाना कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात मोटर साइकिल सवार बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कटरा बाजार पर मु0अ0सं0—326/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद नगद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रघुनन्दन निवासी छजबा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 43 हजार 800 रूपये नगद।

2— घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3— 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद आगरा/थाना हरिपर्वत

- **03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 17 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना हरिपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना हरिपर्वत क्षेत्र से 03 शातिर अभियुक्तों 1—मोनू उर्फ मोहन उर्फ मोनिया 2—ओमकार 3—बनवारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 17 दो पहिया वाहन, 04 मास्टर चाबी आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जिसमें अभियुक्त मोनू उर्फ मोहन उर्फ मोनिया के विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट के 10 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद आगरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से वाहनों की चोरी कर नम्बर प्लेट बदलकर ग्राहक मिलने पर कम दामों में बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना हरिपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोनू उर्फ मोहन उर्फ मोनिया निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर, राजस्थान।

2—ओमकार निवासी करन सिंह मढैया थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर, राजस्थान।

3—बनवारी निवासी ग्राम अम्बरपुर थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर, राजस्थान।

बरामदगी

1—चोरी की 17 दो पहिया वाहन।

2— 04 मास्टर चाबी आदि।

जनपद रामपुर/थाना शहजादनगर

- **04 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **900 ग्राम अवैध स्मैक**
- **500 ग्राम अवैध चरस**
- **03 लाख 27 हजार रूपये नगद**
- **01 कार**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.09.2021 को थाना शहजादनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मगरमऊ पुल के पास से चेकिंग के दौरान 04 मादक पदार्थ तस्करों 1–जुनैद 2–मोहसीन 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर ईफको खाद केन्द्र के पास से 4–अभियुक्त तौफीक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 900 ग्राम अवैध स्मैक व 500 ग्राम अवैध चरस, 03 लाख 27 हजार रूपये नगद, 01 कार, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना शहजादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जुनैद निवासी नौगवा थाना शहजादनगर जनपद रामपुर।

2–मोहसीन निवासी बैरा थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

3–अभियुक्ता।

4–तौफिक निवासी भमरव्वा थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–900 ग्राम अवैध स्मैक।

2– 500 ग्राम अवैध चरस।

3– 03 लाख 27 हजार रूपये नगद।

4– 01 कार, 01 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद एटा/थाना रिजोर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

  जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट–02, जनपद एटा द्वारा थाना रिजोर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376/323/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त गिरीशचन्द्र को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना सोनवा(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

  जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सोनवा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में अभियुक्त 1–अवनेन्द्र प्रताप वर्मा व 2–अभियुक्ता सुशीला देवी को आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना गौराबादशाहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

  जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश(एफटीसी–द्वितीय) जनपद जौनपुर द्वारा थाना गौराबादशाहपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 304(1) भादवि में अभियुक्त दिलीप विश्वकर्मा को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना बक्शा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा, 05 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

  जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद जौनपुर द्वारा थाना बक्शा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डी.पी. एक्ट में अभियुक्त मनीष अग्रहरि को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 5500/— रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना नेवढिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में क्रमशः 07 वर्ष, 05 वर्ष व 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

  जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय पाक्सो एक्ट तृतीय जनपद जौनपुर द्वारा थाना नेवढिया पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376(1)/366/363 भादवि में अभियुक्त चन्दन को विभिन्न धाराओं में क्रमशः 07 वर्ष, 05 वर्ष व 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>एस0टी0एफ0—कुख्यात अपराधी अमित कसाना के लिए रंगदारी वसूलने वाला अभियुक्त अतुल कसाना उर्फ अक्की सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार</u>

दिनांक 28—09—2021 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को कुख्यात अपराधी अमित कसाना के लिए रंगदारी वसूलने हेतु धमकी देने वाला अभियुक्त अतुल कसाना उर्फ अक्की सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1— अतुल कसाना उर्फ अक्की पुत्र सुरेन्द्र निवासी रिस्तल, थाना टीला मोड़, जनपद गाजियाबाद।

2— अरूण उर्फ मास्टर पुत्र ब्रहमपाल निवासी दुरयायी, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी–</u>

1– 01 अदद मोबाईल फोन (रंगदारी व धमकी दिये जाने की घटना, मु0अ0सं0:411/2021 धारा 506/386/419 भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर में प्रयुक्त)

<u>गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–</u>

दिनांक 28–09–2021 समयः लगभग 20.30 बजे, एसटीएफ नोएडा कैम्पस, गौतमबुद्धनगर।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश द्वारा संगठित गैंगों के लिए रंगदारी वसूलने वाले अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसके अनुक्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा श्री विनोद सिंह सिरोही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ नोएडा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री अक्षय प्रवीर कुमार त्यागी, एस0टी0एफ0, फील्ड यूनिट, गौतमबुद्धनगर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उल्लेखनीय है कि कुख्यात अपराधी अमित कसाना के नाम पर वर्चुअल नम्बर (नोर्थ वर्जीनिया यूएसए) से श्री राज कुमार निवासी दुरयायी, गौतमबुद्धनगर को कॉल कर रंगदारी मांगने और न देने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0: 411/2021 धारा 506/386/419 भादवि व 66डी आईटी एक्ट के अर्न्तगत पंजीकृत है। इस सम्बन्ध में एसटीएफ नोएडा टीम द्वारा भौतिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के उपरान्त अतुल कसाना उर्फ अक्की व अरूण उर्फ मास्टर को पूछताछ हेतु एसटीएफ नोएडा कार्यालय बुलवाया गया था। साथ ही मुकदमा उपरोक्त के विवेचक को भी एसटीएफ नोएडा कार्यालय बुलवाया गया था। बाद पूछताछ उपरोक्त अभियोग में दोनों की संलिप्तता पाये जाने पर उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफतार अभियुक्त अतुल कसाना उर्फ अक्की ने बताया कि उसकी आयु लगभग 22 वर्ष है और वर्तमान में अपने मामा करण भाटी निवासी डाबरा थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर के घर पर रह रहा है तथा सतीश निवासी चक्रसैनपुर व राहुल नागर निवासी चचूला के साथ मिलकर अपने गांव रिस्तल के निवासी कुख्यात अपराधी अमित कसाना के लिए रंगदारी वसूलने का काम देखता है।

बताया कि दिसम्बर 2020 में जब अमित कसाना जेल से बाहर था तब उसने राजकुमार निवासी दुरयायी, गौतमबुद्धनगर से उसी के गांव के अरूण मास्टर के पैसे, अमित कसाना का नाम लेकर दिलवाने के लिए कहा था। अब से एक–दो माह पहले उसने राजकुमार उपरोक्त को कॉल करके और अरूण मास्टर द्वारा लिखे गये पेपर को राजकुमार के व्हाटसअप पर भेजकर अमित कसाना का नाम लेते हुए, अरूण मास्टर का पैसा देने लिए धमकाया था। अरूण मास्टर का पैसा वापस मिल जाने पर अमित कसाना ने अरूण मास्टर से 05 लाख रूपया तय किया था, जिसमें से उसे (अतुल कसाना उर्फ अक्की) को 01 लाख रूपया मिलना था। अभियुक्त अतुल कसाना उर्फ अक्की ने बताया कि वह वर्चुअल नम्बर का प्रयोग करके अमित कसाना के कहने पर रंगदारी के लिए लोगों को धमकाता है, जिसका इस्तेमाल इस घटना में भी किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त अरूण उर्फ मास्टर ने बताया कि उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है तथा उसने ही राजकुमार से पैसा दिलाने के लिए अमित कसाना से कहा था और पैसा वापस मिल जाने पर 05 लाख अमित कसाना को देना तय हुआ था और अतुल कसाना उर्फ अक्की ने अमित कसाना का नाम लेकर राजकुमार को फोन पर पैसा वापस करने के लिए धमकी दी थी जिससे डर कर राज कुमार द्वारा 30 हजार रूपये दे दिये गये थे परन्तु और अधिक पैसे की मांग करने पर राजकुमार द्वारा अभियोग पंजीकृत करा दिया गया था।

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0: 411／2021 धारा 506／386／419 भादवि व 66डी आईटी एक्ट में दाखिल किया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———––